जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :
सम्बद्धता विभाग,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

ग्राम : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : (0751-244228
(कार्यालय)
ई-मेल : E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2025/83

दिनांक : 16-04-2025

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य
समस्त शासकीय एवं अशासकीय विधि महाविद्यालय
सम्बद्ध जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर

विषयः- **रिट याचिका क्रमांक 2758/2025 के अन्तर्गत पारित आदेश के परिपालन में विधि महाविद्यालयों हेतु प्रदत्त निर्देशों का पालन किये जाने बाबत्।**

संदर्भः- **कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक DHE/027/2025-Affil-DHE भोपाल दिनांक 04.04.2025 एवं कार्यालय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा ग्वालियर चम्बल संभाग, ग्वालियर का पत्र क्रमांक 152/क्षे.का./उशि/न्या.प्र./2025 ग्वालियर दिनांक 09.04.2025**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के संबंध में उल्लेखित है कि, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित रिट याचिका क्रमांक 2758/2025 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 25.03.2025 के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा जारी आदेश पत्र संलग्न अनुसार विधि महाविद्यालयों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन कर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरसः पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे। अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध विश्विवद्यालय परिनियमानुसार कार्यवाही संस्थित की जावेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष/सचिव बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया 21 साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल, म.प्र.।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर-चम्बल संभाग, कस्तूरबा चौराहा कम्पू, लश्कर ग्वालियर।
4. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. प्रभारी, आई. टी. सेल. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।

निदेशक
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

कार्यालय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा चम्बल संभाग
109
8-4-25

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय
सतपुड़ा भवन , भोपाल

क्रमांक - / / संबद्धता/ आउशि /2025 दिनांक:04/04/2025

प्रति,

1.कुल सचिव (संलग्न सूची अनुसार)

2.शासकीय एवं अशासकीय विधि महाविद्यालय (संलग्न सूची अनुसार)

विषय: रिट याचिका क्रमांक **2758** ऑफ **2025** के अंतर्गत पारित आदेश के परिपालन में विश्वविद्यालयों एवं विधि महाविद्यालयों हेतु निर्देश ।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित याचिका क्रमांक 2758 /2025 में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश दिनांक **25.03.2025** के परिपेक्ष में प्रदेश में संचालित समस्त विश्वविद्यालयों एवं विधि महाविद्यालयों को उक्त आदेश का आवलोकन करते हुऐ इसका पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है ।

2. माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के परिपालन में यदि संबंधित महाविद्यालय द्वारा बार कांउसिंल ऑफ इंडिया में फीस जमा की गई है तो प्रमाण सहित इसकी जानकारी इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित की जाए।

3. अशासकीय विधि महाविद्यालयों द्वारा बार काउन्सिल ऑफ इंडिया में जमा की गई फीस की जानकारी एम.पी ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज किये जाने हेतु एम.पी ऑनलाईन को उक्त सुविधा संबंधित महाविद्यालयों को प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जा चुका हैं। कृपया महाविद्यालय पोर्टल पर उक्त जानकारी दर्ज करें।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाए ।

संलग्न :

1. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर का निर्णय दिनांक **25.03.2025** की प्रति।

Digitally signed by
Nishant Warwade
Date: 05-04-2025
10:10:08

आयुक्त,
उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र

पृ. क्रमांक - / / संबद्धता/ आउशि /2025 भोपाल, दिनांक : 04/04/2025

प्रतिलिपि:-

1) निज सहायक, माननीय मंत्रीजी ,म.प्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग।

2) निज कार्यालय, अपर मुख्य सचिव,म.प्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग।

3) समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

4) समस्त अग्रणी महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.